विविध पत्रावली 2024 / 028

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

अमरजीत सिंह बनाम सुमित्रा बाई व अन्य

प्रकरण संख्या 2024 / 035

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
19.06.2024	वादी अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 16 जुलाई, 2024 को पेश हो.	
16/07/24	प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत, शामिल पत्रावली किया गया। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/24 को पेश हो।	
16/8/24	आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
27.09.24	अधिवक्ता वादी उप.। वादी अधिवक्ता [illegible] के अधिवक्ता [illegible] [illegible] पत्रावली पेश [illegible] को पेश हो।	
21.10.24	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी नं. 02 [illegible] अधिवक्ता [illegible] [illegible] आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हो।	
29-11-24	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-1-25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

रिस्पोंडेंट के साथ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश हो।

आज पीठासीन अधिकारी अवकाश [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/04/25 को पेश हो।

23/04/25 अधिवक्तागण उप० प्रतिवादी सं० 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह [illegible] ने वकालतनामा [illegible] प्रस्तुत किया [illegible] प्रतिवादी Refused की [illegible] [illegible] [illegible] रिस्पोंडेंट [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] आदेश 13 [illegible] प्रतिवादी [illegible] [illegible] [illegible] आदेश 13 के [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] जवाब हेतु दिनांक 02/05/25 को पेश हो।

02/05/25 अधिवक्तागण उप० पत्रावली वास्ते [illegible] प्रा०प० 03 हेतु दिनांक 13/05/25 को पेश हो।

13/05/25 अधिवक्तागण उप० पत्रावली वास्ते [illegible] प्रा०प० 03 हेतु दिनांक 15/05/25 को पेश हो।

15.05.25 अधिवक्तागण उप० वादी एवं प्रति० सं० 13 स्वयं उप० वादी एवं प्रतिवादी सं० 13 द्वारा एक उप० [illegible] [illegible] [illegible] पश्चात पक्ष की [illegible] अर्थ -2 पश्चात [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] किये। वादी की [illegible] [illegible] अधिवक्ता की [illegible] पश्चात वादी अधिवक्ता की [illegible] पश्चात अधिवक्ता एवं प्रति० सं० [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] पश्चात प्रति० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 20/05/25 को पेश हो।

Identified by me
गुरुप्रताप सिंह 15/5/25

RTI [illegible]

[illegible]
I. by me
[illegible] 15/5/25

[illegible]
I by me
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

20/05/25 अभियुक्त का पता उ.प्र. राज्य में होने से
इस। जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,
शामिल पत्रावली हो। अभियुक्त का
मुताबिक राजीनामा का [illegible] [illegible]
निर्णय किया। पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु दिनांक 26/05/25 को पेश हो।

26/05/25 अभियुक्तगण तलब। मुताबिक राजीनामा
बाद पेश स्वीकार किया जाकर जावेगी। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखकर जारी
नत्थी किया गया। बाद अभियुक्तगण के
अभियुक्तगण [illegible] [illegible] [illegible]
शामिल पत्रावली हो। [illegible] [illegible]
की [illegible] [illegible] पत्रावली के [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली
[illegible] [illegible] की [illegible] [illegible]
नियमानुसार रूम में दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 035 / 2024
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री फुमन सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी गांव 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादी

ब ना म

1. सुमित्रा बाई पुत्री फुमन सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति रायसिख निवासी कबूलशाह खूबन तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. परमजीत कौर पुत्री श्री फुमन सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति रायसिख निवासी मुसाहिबवाला तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. मनजीत कौर पुत्री फुमन सिह पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी रामनगर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) हाल कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदेव सिंह पुत्र गजन सिह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरबचन कौर पुत्री सरदारा सिंह पत्नी रतन सिंह निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. चरणजीत सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. पूर्ण सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. भुपेन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. मलकीत सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. सुमित्रा बाई पत्नी हरनेक सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रगंगानगर।
11. सरजीत कौर पुत्री गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. सुरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. हरनेक सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर।
15. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
16. शाखा प्रबंधक कार्पोरेशन बैंक शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
17. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
18. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा श्रीगंगानगर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

...प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उपस्थित– श्री गुरचरण सिंह (वादी)
श्री राकेश कुमार बचौरिया (प्रतिवादी 01, 03)
श्री राजकुमार ... (प्रतिवादी 02)
स्वयं ओ.आई.सी. (प्रतिवादी 19)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28.05.2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के पिता फूमन सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी गावं कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के

चक 3 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3 के मुरब्बा नम्बर 1, 3 में कुल 6.3250 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 2129/6325 र नहरी कृषि भूमि मुश्तरका खाता में एवं चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर र हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 7 1620 हैक्टेयर नहरी, रकबा एकल खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त वर्णित दोनो खातों की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता फुमन ने अपने जीवन काल में पंजीयक श्रीगंगानगर के कार्यालय में बन्द वसीयत दिनांक 01.03.2021 को वादी एवं वादी संख्या 01 ता 03 के हक में करवायी थी, जिसकी राशि 425/- रूपये जरिये रसीद 47711297 एवं वसीयतनामा की प्रति सलग्न वाद पत्र है क्योंकि जब वादी एवं वादीगण के पिता फुमन सिंह द्वारा बन्द वसीयत जिला पंजीयक श्रीगंगानगर के कार्यालय में करवायी तब वसीयतनामा की एक फोटो स्टेट प्रति वादी को उसके पिता फुमन सिंह द्वारा जीवनकाल में ही याददाश्ती तौर पर सुरक्षित रखे जाने के लिये सुपुर्द कर दी थी। तनामा दिनांक 01.03.2021 के अनुसार चक 3 एफ बडा पटवार हल्का कोनी तहसील व श्रीगंगानगर का खाता संख्या 41/13 का मु. न. 1, 15 में कुल तादादी 6.325 हैक्टयेर भूमि में से स्वंय के हिस्सा 2129/6325 कृषि भूमि व चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 7 में कुल 3.162 हैक्टयेर नहरी कृषि भूमि से 1.644 र नहरी भूमि की वसीयत वादी अमरजीत सिंह के हक में व चक 4 एफ बडा तहसील व श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 7 में कुल 3.162 हैक्टयेर नहरी भूमि में से 1.518 हैक्टयेर नहरी भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के हक में ा बराबर बराबर कर दी थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता फुमन सिंह र्गवास दिनांक 20.02.2024 को गावं कोनी 5 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में हो है तथा वादी/प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के पिता की मृत्यु के उपरान्त जिला क श्रीगंगानगर के कार्यालय में वसीयतनामा दिनांक 01.03.2021 को खोले जाने का न किया तो उनके द्वारा वारिस प्रमाण पत्र सरपंच से लाकर देने की हिदायत की गई तब ने सरपंच ग्राम पंचायत गांव कोनी से वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया तो ा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार वारिसनामा जारी करने के अधिकार छीन लिये गये है तब वादी ने स्वर्गीय फुमन सिंह के वारिसान के नाम की तस्दीक दिये का निवेदन किया तो वह भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा देने से इन्कार कर दिया है। अब को पता चला है कि सरपंच ग्राम पंचायत व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 मिली भगत करके य फुमन सिंह की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने की फिराक में है जबकि य फुमन सिंह ने अपनी समस्त कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 01.03.2021 को जिला यक श्रीगंगानगर के कार्यालय में जमा करवा दी थी तथा जिसका निष्पादन की कार्यवाही ीय फुमन सिंह के वारिस प्रमाण पत्र/वारिसाननामा की तस्दीक पेश होने पर की जाएगी अब प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व सरपंच द्वारा मिली भगती करने के कारण उपरोक्त त कृषि भूमि का वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज नही हो पा रहा है जबकि वादी यतनामा के अनुसार आज भी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का मालिक व काबिज चला आ रहा वाद में वर्णित वसीयत दिनांक 01.03.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि पंजीकृत कार्यालय से ने पर वादी प्रस्तुत करेगा। वादी वसीयतनामा के अनुसार चक 3 एफ बडा पटवार हल्का ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 41/13 का मु. न. 1, 15 में कुल तादादी 25 हैक्टयेर नहरी भूमि में से स्वंय के हिस्सा 2129/6325 कृषि भूमि व चक 4 एफ पटवार का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 7 में कुल 3.162 हैक्टयेर नहरी कृषि भूमि 1.644 हैक्टयेर नहरी भूमि का खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाकर प्रतिवादी संख्या 01 13 से विभाजन करवाकर अपना खाता तकसीम करवाना चाहता है ताकि कृषि भूमि सुधार रने, लगान अदा करने एवं सिंचाई करने में कोई कठनाई उत्पन्न ना हो। वादी द्वारा तिवादीगण को बार बार वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज करवाकर कृषि भूमि विभाजन करने ा अग्रह किया परन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे ओर दिनांक 12.06.2024 को साफ न्कार हो गये और कहा कि दिनांक 20.06.2024 को ग्राम पंचायत की मीटिंग में उक्त रकबा का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाकर रहेगे, आपको जो करना है कर लेना, इसलिए प्रतिवादी को वाद लाना जरूरी हो गया यही वाद का कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। उक्त वर्णित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसलिए वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवाणाधिकार का है। वादी पत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.13 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
( ) श्रीगंगानगर

...द वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न ...र से सादर डिक्री फरमाया जावे। (क)– वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता फुमन सिंह के नाम ... चक 3 एफ बडा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या ...1/13 का मु. नं. 1, 15 में कुल तादादी 6.325 हैक्टयेर नहरी भूमि में से स्वयं के हिस्सा ...9/6325 कृषि भूमि व चक 4 एफ पटवार पटवार कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा ...र 7 में कुल 3.162 हैक्टयेर नहरी कृषि भूमि से 1.644 हैक्टयेर नहरी भूमि की वसीयत ...सार वादी एवं व चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/45 के ...बा नम्बर 7 में कुल 3.162 हैक्टयेर नहरी कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टयेर नहरी भूमि का ...वादी संख्या 01 ता 03 के हक में बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाकर इस ...र की डिक्री जारी की जावे एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के मध्य वसीयत ...सार ही खाता तकसीम करवाकर अलग–अलग विभाजन करवाया जावे।(ख) इस अमर की ...ई निषेधज्ञा की डिक्री पारित की जावे प्रतिवादीया संख्या 01 वादी के कब्जा काश्त कृषि ... में दखलअंदाजी न करे। (ग) इस अमर का आदेश फरमाया जावे कि बाद के लम्बनकाल ... प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादी के कब्जा ...त की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे। (घ) खर्चा वाद वादी को ...तिवादीगण से दिलाया जावे। (च) अन्य अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रतिवादीगण ... वादी को दिलाया जावे।

दिनांक 21.10.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया ...या जिसके अनुसार सरंपच द्वारा वारिस प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, मूल वसीयत जिला ...जीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर से खुलवायी जा चुकी है एवं प्रमाणित प्रति वसीयत दिनांकित ...01.03.2021 प्राप्त कर ली गई है। प्रतिवादीया संख्या 02 वसीयत के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में ...पने नाम से उक्त आराजी का इन्द्राज करवाना चाहती हैं। वसीयत के अनुसार पटवारी हल्का ...से रिपोर्ट मंगवाई जाकर अच्छी से अच्छी भूमि व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाकर ...सीयत के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में खाता तस्कीम किया जावें। भूमि का अभी तक विभाजन ...हीं हुआ है, प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर सामान रूप से कब्जा है इसलिए स्थाई ...षेधाज्ञा भूमि के उपयोग उपभोग हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता। अतः जवाब दावा पेश कर ...वेदन है कि वसीयत दिनांक 01.03. 2021 के अनुसार वादी व प्रतिवादीया संख्या 02 के नाम ...से अच्छी अच्छी बुरी से बुरी भूमि का तस्कीम कर राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें

दिनांक 23.04.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

दिनांक 15.05.2025 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादीगण अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राकेश कुमार बचौरिया तथा प्रतिवादी संख्या 02 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यों के अनुसार उक्त वाद पत्र में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 जो मृतक फुमन सिंह के वारिसान है। मृतक फुमन सिंह द्वारा दिनांक 01.03.2021 को जिला पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर चक 3 एफ बडा पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 41/13 के मुरब्बा नं. 1, 15 कुल तादादी 6.325 है0 में स्वयं के 2129/6325 हिस्सा रकबा की वसीयत वादी के नाम से व चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से 1.644 है0 की वसीयत वादी के नाम से व उक्त रकबा के 1.518 है0 रकबा की वसीयत प्रतिवादी 01 ता 03 के पक्ष में बहिस्सा बरावर की गई थी। वादी द्वारा वसीयत के अनुसार वाद पत्र डिक्री करवाने के लिये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का राजीनामा निम्नानुसार हो गया हैः– वसीयत दिनांक 01.03.21 के अनुसार चक 3 एफ बडा पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 41/13 के मुरब्बा नं. 1, 15 कुल तादादी 6.325 है0 में स्वयं के 2129/6325 हिस्सा रकबा वादी अमरजीत सिंह को दिया गया है। जो उसके नाम से दर्ज किये जाने में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को किसी प्रकार का उजर ऐतराज नही रहेगा उक्त रकबा वादी अपने नाम से दर्ज किया जावे। वसीयत दिनांक 01.03.21 के अनुसार चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से 1.644 है0 नहरी की वसीयत वादी के नाम से व उक्त रकबा के 1.518 है0 रकबा प्रतिवादी संख्या 01 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: Self Attested

मुद्रांक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

बहिस्सा बराबर निम्नानुसार प्राप्त करेगे। (क) प्रतिवादी संख्या 01 सुमित्रा बाई चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा न. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला 14 में 0.228 है0 व 17 में 0.253 है0, किला नं. 24 में 0.025 है0 किला नं. 17 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 रकबा प्राप्त करेगी और उक्त रकबा उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। (ख) प्रतिवादी संख्या 02 परमजीत कौर चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्यां 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 4 में 0.228 है0 व 7 में 0.253 है0 व किला नं. 14 में 0.025 है0 किला नं. 7 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 रकबा प्राप्त करेगी। जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 को किसी प्रकार का उजर व ऐतराज नही होगा और उक्त रकबा उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। (ग) प्रतिवादी संख्या 03 मनजीत कौर चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 13 में 0.176 है0 व 18 में 0.253 है0, किला नं. 23 में 0.077 है0 किला नं. 18 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 रकबा प्राप्त करेगी और उक्त रकबा उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। (घ) वादी अमरजीत सिंह चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक का 0.253 है0 व किला नं. 5 का 0.228 है0, किला नं. 24 का 0.228 है0, किला न. 23 का 0.176 है0 कुल 1.644 है0 रकबा प्राप्त करेगा और उक्त उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार राजीनामा तस्दीक किया

दिनांक 20.05.2025 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 4 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू. अभि0 नि0 क्षेत्र दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 एवं चक 3 एफ बड़ा, पटवार हल्का कोनी, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071– 2074 तथा वसीयतनामा दिनांक 01.03.2021 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है तथा पक्षकारान मुताबिक राजीनामा विभाजन करवाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 32 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी अमरजीत पुत्र श्री फुमन सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 01 सुमित्रा पुत्री श्री फुमन सिंह, प्रतिवादी संख्या 02 परमजीत कौर पुत्री श्री फुमन सिंह व प्रतिवादी संख्या 03 मनजीत कौर पुत्री श्री फुमन सिंह को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15.05.2025 के अनुसार **वादी अमरजीत** पुत्र श्री फुमन सिंह को चक 3 एफ बडा पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 41 ... के मुरब्बा नं. 1, 15 कुल तादादी 6.325 है0 में से वादी के पिता के नाम दर्ज 2.129 है0 हिस्सा रकबा का एवं इसके साथ ही चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक का 0.253 है0 व किला नं. 5 का 0.228 है0, किला नं. 24 का 0.228 है0, किला न. 23 का 0.176 है0 कुल 1.644 है0 नहरी कृषि भूमि का, **प्रतिवादी संख्या 01 सुमित्रा बाई** पुत्री श्री फुमन सिंह को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा न. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 14 में 0.228 है0 व 17 में 0.253 है0, किला नं. 24 में 0.025 है0 किला नं. 17 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का, **प्रतिवादी संख्या 02 परमजीत कौर** पुत्री श्री फुमन सिंह को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्यां 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: Self Attested

4 में 0.228 है0 व 7 में 0.253 है0 व किला नं. 14 में 0.025 है0 किला नं. 7 के साथ स्थित
कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 03 मनजीत कौर पुत्री श्री [illegible]
को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.182
रकबा में से किला नं. 13 में 0.176 है0 व 18 में 0.253 है0, किला नं. 23 में 0.077 है0
किला नं. 18 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया
जाता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित
भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी
हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व
रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (नहरी
नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं
किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प
शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
आज दिनांक 28.05.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 036 / 2024
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

अमरजीत सिंह पुत्र श्री फुमन सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी गांव 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

...वादी

ब नाम

1. सुमित्रा बाई पुत्री फुमन सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति रायसिख निवासी कबूलशाह खुबन तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. परमजीत कौर पुत्री श्री फुमन सिंह पत्नी गुरचरण सिंह जाति रायसिख निवासी गुरुसाहिबवाला तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. मनजीत कौर पुत्री फुमन सिह पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी रामनगर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) हाल कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदेव सिंह पुत्र गजन सिह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरबचन कौर पुत्री सरदारा सिंह पत्नी रतन सिंह निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. चरणजीत सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. पूर्ण सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. भुपेन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. मलकीत सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. सुमित्रा बाई पत्नी हरनेक सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रगंगानगर।
11. सरजीत कौर पुत्री गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. सुरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. हरनेक सिंह पुत्र गजन सिंह जाति रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर।
15. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
16. शाखा प्रबंधक कार्पोरेशन बैंक शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
17. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी श्रीगंगानगर।
18. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा श्रीगंगानगर।
19. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

...प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित– श्री गुरदर्शन सिंह (वादी)
श्री राकेश कुमार ... (प्रतिवादी 01, 03)
श्री राजकुमार नागपाल (प्रतिवादी 02)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 19)

दिनांक: 28.08.2025

वादपत्र संख्या 035/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ...करण सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 अधिवक्ता श्री राकेश कुमार [illegible], प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल तथा पैरोकार राज प्रतिवादी– 19 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर **वादी अमरजीत** पुत्र श्री फुमन सिंह को चक 3 एफ [illegible] पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 41/13 के मुरब्बा नं. 1, 15 कुल तादादी 6.325 है0 में से ...के पिता के नाम दर्ज 2129/6325 हिस्सा रकबा का एवं इसके साथ ही चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 6, 15, 16, 25 प्रत्येक का 0.253 है0 व किला नं. 5 का 0.228 है0, किला नं. 24 का 0.228 है0, किला न. 23 का 0.176 है0 कुल 1.644 है0 नहरी कृषि भूमि का, प्रतिवादी संख्या 01 सुमित्रा बाई पुत्री श्री फुमन सिंह को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा न. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 14 में 0.228 है0 व 17 में 0.253 है0, किला नं. 24 में 0.025 है0 किला नं. 17 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का, **प्रतिवादी संख्या 02 परमजीत कौर** पुत्री श्री फुमन सिंह को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्यां 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 4 में 0.228 है0 व 7 में 0.253 है0 व किला नं. 14 में 0.025 है0 किला नं. 7 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का तथा **प्रतिवादी संख्या 03 मनजीत कौर** पुत्री श्री फुमन सिंह को चक 4 एफ पटवार हल्का कोनी के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं. 7 के 3.162 है0 रकबा में से किला नं. 13 में 0.176 है0 व 18 में 0.253 है0, किला नं. 23 में 0.077 है0 किला नं. 18 के साथ चिपता हुआ कुल 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.05. 2025 को जारी की गयी।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय [illegible]	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय [illegible]	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर